नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को सात वर्ष की कैद

अदालत से

- आरोपी ने वर्ष 2016 में किशोरी से किया था दुष्कर्म
- पिता की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज किया था मामला

श्रावस्ती, संवाददाता। नौ वर्ष पहले किशोरी के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में शुक्रवार को न्यायालय की ओर से आरोपी को दोषी करार दिया गया। जिसके आधार पर आरोपी को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई।

साथ ही 24 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। सोनवा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 15 वर्षीय एक किशोरी वर्ष 2016 में दूसरे गांव में रह रहे अपने चाचा के घर गई थी। जहां वह सात अप्रैल की सुबह शौच के लिए गई थी। [illegible]न कटरा बहादुरगंज निवासी [illegible] पुत्र राम लखन किशोरी को [illegible]सला कर अपने साथ भगा ले [illegible]रिजनों की ओर से तलाश की [illegible]न किशोरी का सुराग नहीं लगा। गांव के ही कुछ लोगों ने बताया कि किशोरी को बलराम के साथ जाते देखा गया है। इस पर किशोरी के पिता की ओर से सोनवा थाने में आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज कराया गया। इधर बलराम किशोरी को साथ ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पिता की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और किशोरी को बरामद कर लिया। मामले की विवेचना हुई और पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। नौ वर्ष से मामले का विचारण न्यायालय में हो रहा था। शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश निर्दोष कुमार ने दोषी करार देते हुए साथ वर्ष के कारवास की सजा सुनाई।